न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–252/17(आरसीएमएस नपं. 2017/00159)

01. कमल शर्मा पुत्र श्री डूंगरमल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी 6/378 विधाधर नगर, जयपुर।
02. प्रकाश शर्मा पुत्र श्री डूंगरमल शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी 6/378 विधाधर नगर, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।
02. भोमाराम पुत्र नाथ्या गुर्जर, जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
03. मंगलचन्द पुत्र नाथ्या गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
04. झूंथाराम पुत्र नाथ्या गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
05. भगवान सहाय पुत्र नाथ्या गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
06. लक्ष्मण राम पुत्र नाथ्या गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
07. बिरदाराम पुत्र भगवान सहाय जाति गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
08. जवाना राम पुत्र भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
09. रघुनाथ पुत्र भगवान सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. बंशी पुत्र बिरदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. सुजा पुत्र बिरदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. भागीरथ पुत्र बिरदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. भूरा पुत्र नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. रेवड़ पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. गोपीराम पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. बुद्धीप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनाराण जाति जोगी निवासी मकान नमबर 34, अशोक नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.05.2019

संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 08.09.2015 (प्रकरण संख्या 47/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, व कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों का विवेचन किये बिना ही मनमाने तौर पर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये प्रार्थी खातेदार के आवेदन को निरस्त करने में भारी कानूनी गलती की है इसिलये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य। उन्होने आगे कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 के आज्ञापक प्रावधानानुसार तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट में कही यह दर्शित नही किया गया है कि वर्तमान मे प्रचलित नक्शा से विवादित (सीमाज्ञान करवाये जाने वाले) खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान करवाया जाना सम्भव नही है, तथा तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट में यह आदेश भी कही दर्शित नही किया गया कि विवादित भूमि के सीमाज्ञान करवाये जाने या सीमाचिन्ह अंकित किये जाने में किन व्यक्तियों के द्वारा शान्ति भंग होने का अंदेशा है इसके बावजूद अधीनसथ न्यायालय ने मनमाने तौर से बिना किसी अधार के विवादित भूमि का सीमाज्ञान कराने सीमाचिन्ह अंकित करने से शान्ती भंग होने का अंदेशा मानकर कर प्रार्थी खातेदार की भूमि का सीमाज्ञान करवा सीमाचिन्ह अंकन करने क आवेदन को निरस्त करने में भारी कानूनी गलती की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मौके पर विवादित भूमि पर कब्जे के बाबत किसी अन्य पक्ष का कोई विवाद नही होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की भूमि के सीमाचिन्ह अंकिन जाने का आवेदन खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित भूमि के अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवान या उसके सीमाचिन्ह अंकित करवाने के अधिकार कानूनन प्रदत्त है इसलिये वे अपनी खातेदारी की आराजी के सीमाचिन्ह कराने के अधिकारी है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट खातेदार के इस मूलभूत कानूनी अधिकार से इस आधार पर वंचित नही किया जा सकता कि मौके पर शान्ती भंग हो सकती है, पटवारी व तहसीलदार की ऐसी अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर मात्र बिरदा पुत्र भगवान सहाय ने यह आपत्ति की थी कि प्रार्थी के अपने खेत में फसल है, इसलिये फसल कटने के बाद सीमाज्ञान या सीमाचिन्ह अंकित किये जावे ऐसी आपत्ति से कतई साबित नही होता है कि सीमाज्ञान किये जाने या सीमाचिन्ह अंकित किये जाने से शान्ति भंग होने का अंदेशा है इस प्रकार बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.09.2015 को निरस्त फरमया जाकर अपीलान्ट के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 234, 236/457, 237, व 238 ग्राम

खैरवाडी तथा खसरा नम्बर 1345 स्थित ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर का नियमानुसार सीमाज्ञान व सीमाचिन्ह कायम किये जाने की कृपा पूर्ण आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट में शान्ति भंग होने के अंदेशा के आधार पर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के कानूनन अधिकार प्रदत्त है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि तहसीलदार आमेर द्वारा अपने जवाब में पत्थरगढी पुलिस इमदाद के बिना संभव नहीं होना भी अंकित किया है ऐसे में वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस इमदाद में भी कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिक प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।